राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर.

क्रमांक :– मु.अ./राआम/2012/41   दिनांक :– 11/6/12

कार्यालय आदेश

04 जून' 2012 को सम्पन्न हुई साप्ताहिक बैठक में मण्डल की गतिविधियों की समीक्षा के दौरान, आवासन आयुक्त महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा निविदा स्वीकृति के प्रकरणों हेतु प्रचलित चैक–स्लिप को आज के सन्दर्भ में सुधार करते हुए, इन चैक स्लिप्स को रंगीन कागज पर प्रस्तुत किया जावे, ताकि पत्रावलियों में चैक–स्लिप्स की अलग से पहचान हो सके।

अतः सभी सम्बन्धित अधिकारियों को एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में ***प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति*** के प्रकरणों की चैक–स्लिप ***हल्के गुलाबी*** तथा **निविदा स्वीकृति** के प्रकरणों की चैक–स्लिप **हल्के नीले** रंग में प्रस्तुत की जावें।

ह0/–
मुख्य अभियन्ता,
रा0आ0मं0, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. तकनीकी सहायक–माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, ——————————————(समस्त).
5. आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, ——————————————(समस्त).
6. रक्षित पत्रावली।
7. ACP, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता.